रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 1993/भाद्र 22, 1915
No. 537] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 1993/BHADRA 22, 1915

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1993

का.आ. 677 (अ) :—परिसंकटमय सूक्ष्मजीवों/आनुवंशिक रूप से तैयार जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात तथा भंडारण के संबंध में दिनांक 5 दिसम्बर, 1989 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2 खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित नियमावली के नियम 1 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रथम अक्तूबर, 1993 को उपर्युक्त नियमों के लागू होने की तारीख के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या 16 (16)/93 एच एस एम डी]
जे. सी. काला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FOREST

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 1993

S.O. 677(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 1 of the Rules for Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro Organisms|Genetically Engineered Organisms or Cells, published in the Gazette of India Extraordinary—Part II—Section 3—Sub-section (i), dated December 5, 1989, the Central Government hereby notify the 1st day of October, 1993 as the date on which the said rules shall come into operation.

[No. 16(16)|93-HSMD]

J. C. KALA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993